संख्या- 41/2019 /838 /71-1-2019-जी-55/2018टी0सी0-III

प्रेषक

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक 22 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं नेहरू चिकित्सालय हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/870, दिनाँक 12-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में विभिन्न मानक मदों में मेडिकल कालेज, आगरा में रू0 1,56,50,000/- (रू0 एक करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में रू0 1,56,50,000/- (रू0 एक करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा तथा जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर लिया जायेगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-454/दस-2019, दिनाँक 19 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः- 41/2019 / 838 (1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- **महालेखाकार** (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण		वित्तीय वर्ष 2018–19		प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
				वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात उ अनुदान/विनियोग (2-
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03– शिक्षा–38–मेडिकल कालेज, आगरा–					
01–वेतन	3347.25	97.30	97.30	97.30	3249.95
03–महंगाई भत्ता	334.73	30.00	30.00	30.00	304.73
06–अन्य भत्ते	334.72	29.20	29.20	29.20	305.52
योग–	**4016.70**	**156.50**	**156.50**	**156.50**	**3860.20**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपल अनुदान/विनियोग (8+
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा–43–मेडिकल कालेज, गोरखपुर					
04–यात्रा व्यय	2.00	3.50	1.50	1.50	3.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	600.00	950.00 750.00	150.00	150.00	750.00
49–चिकित्सा व्यय	8.00	13.00	5.00	5.00	13.00
योग–	**610.00**	**966.50** 766.50	**156.50**	**156.50**	**766.50**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, आगरा हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में रू0 156.50 लाख की बचत सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में रू0 156.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

3– प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या– 701/E-3-459/40/2019 दिनांक– 19-3-2019

सेवा में,

महालेखाकार, लेखा एव हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

19/03/2019
(पवित्र कुमार)
उप सचिव
वित्त विभाग

संख्या– / /71–1–2019–जी–55/2018टी0सी0– ।।।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, गोरखपुर।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव